89 हमारा इमाम कौन ? 0

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम वाला है।

सब तअरीफ़े अल्लाह तआला के लिए हैं। जो सारे जहान का पालनहार है। हम उसी से मदद व माफ़ी चाहते हैं। अल्लाह की लातादाद सलामती, रहमतें व बरकतें नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल0 पर,, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।

व बअद!

यहां इमाम से मुराद वह इमाम नहीं जो नमाज़ पढ़ाता हो, वह इमाम भी नहीं जो किसी फ़न (कला) में महारत रखने की वजह से उस फ़न में इमाम कहलाता हो, न ही वह इमाम है जो अमीर या हुक्मरान हो, इसी तरह वह इमाम भी नहीं है जो किसी नेकी में पहल करने की वजह से दूसरों के लिए पैशरू बन जाए बल्कि यहां इमाम से मुराद वह इमाम है जिसको अल्लाह ने मन्सबे इमामत से नवाज़ कर इमाम बनाया हो।

जिसका हर हुक्म वाजिबुल्इत्तेबाअ हो, जिसकी हर बात ज़िन्दगी का ज़ाब्ता हो, जिसका हर फ़ेअल हिदायत की मशाल हो, जिसकी इताअत अल्लाह की इताअत और जिसकी नाफ़रमानी अल्लाह की नाफ़रमानी हो। जिसकी इमामत आरज़ी (वक़्ती) न हो बल्कि क़यामत तक के लिए हो, जो मासूम हो, जिससे दीनी मामले में गलती का होना नामुमकिन हो, जिसकी हर दीनी बात वहय इलाही हो।

हाकिम सिर्फ़ एक यानि अल्लाह तआला है। उसके बन्दों पर हुक्म भी उसका चलता है, दूसरों का नहीं लेकिन अल्लाह का हुक्म उसके हर बन्दे तक सीधा नहीं पहुंचता बल्कि वह अपने बन्दों में से किसी एक बन्दे को चुन लेता है और उस बन्दे को अपने सब अहकाम की ख़बर देता है। फिर वह बन्दा अल्लाह के सारे अहकाम उसके दूसरे बन्दों तक पहुंचा देता है। इस पहुंचाने वाले बन्दे को नबी या रसूल कहा जाता है।

इताअते रसूल ही इताअते इलाही है।

रसूल अल्लाह और उसके बन्दों के बीच वास्ता होता है। उसी के ज़रिये अल्लाह की इताअत की जाती है। उसकी इताअत ही अल्लाह की इताअत होती है। क्योंकि इर्शादे बारी तआला है "जिसने रसूल की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह ही की इताअत की।" **(निसा–आयत–80)**

रसूल खुद अपनी इताअत नहीं कराता बल्कि उसकी इताअत अल्लाह के हुक्म से की जाती है। जैसा कि फ़रमाने इलाही है "रसूल हमने इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए।" **(निसा– आयत–64)**

क्योंकि इताअत सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है। लिहाज़ा बिना उसके हुक्म या इजाज़त के किसी दूसरे की इताअत नहीं की जा सकती। अगर कोई शख़्स बिना अल्लाह के हुक्म या इजाज़त के दूसरे की इताअत करता है तो गोया उसने दूसरे शख़्स को इताअत में अल्लाह का शरीक बना लिया। यह अल्लाह ही का काम है कि वह अपने किस बन्दे की इताअत को लोगों के लिए फ़र्ज़ करार दे। अगर बन्दे खुद किसी को इताअत के लिए चुन लें तो गोया वह खुद 'इलाह' बन बैठे, अल्लाह के रिसालत अता करने के हक़ पर खुद क़ाबिज़ हो गये और यह शिर्क हैं। इसलिए की "अल्लाह ही ख़ूब जानता है कि वह अपनी रिसालत किस को अता करें।" (यानि किसे रसूल बनाए) **(अनआम–आयत–124)**

इमाम बनाना अल्लाह का काम है।

इमाम बनाना बन्दों का काम नहीं बल्कि अल्लाह का काम है। फिर जो लोग रसूल सल्ल0 के अलावा दूसरों को अपना मुताअ और इमाम बना लें। फ़िर

उन्हीं की हर बात में इताअत करें। उन्हीं के फ़तवों को आख़िरी सनद समझें तो वो लोग शिर्क फ़िल हकम के मुरतकिब होंगे।

सिर्फ़ रसूल ही अल्लाह की तरफ़ से तमाम लोगों के लिए इमाम बना कर भेजा जाता है। रसूल को रिसालत या इमामत अल्लाह ही अता करता है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया "(ऐ इब्राहीम!) मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बन रहा हूँ।" **(बक़रा–आयत–124)** इब्राहीम अलैहि0 जानते थे कि इमाम बनाना सिर्फ़ अल्लाह का काम है। इसीलिए वह दुआ करते हैं "ऐ अल्लाह! मेरी औलाद में से भी (इमाम बनाना)" **(बक़रा–124)**

जवाब मिलता है "हां बनाऊंगा लेकिन यह वादा गुनाह गारों के लिए नहीं होगा।" **(बक़रा–124)**

मालूम हुआ कि इमाम बनाना अल्लाह का काम है और इमाम मासूम होता है, गुनाहगार नहीं। जो मासूम नहीं वह इमाम नहीं और मासूम सिर्फ़ नबी या रसूल होता है। लिहाज़ा सिवाए नबी या रसूल के कोई इमाम नहीं हो सकता।

इब्राहीम अलैहि0 और कुछ दूसरे रसूलों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह फ़रमाता है "हमने इन रसूलों को इमाम बनाया था। वो हमारे हुक्म से हिदायत करते थे और हमने उन्हें नेक काम करने की वहय की थी। " **(अम्बिया–73)**

रसूल ही हाकिम होता है।

रसूल ही वह हस्ती है जिसे अपने सारे इख़्तिलाफ़ात में फ़ैसला करने वाला समझना और उसके फ़ैसले को बिला चूं व चरा मान लेना हक़ीक़ी ईमान है। जैसा कि इर्शादे बारी है "ऐ रसूल (सल्ल0) आप के रब की क़सम। लोग उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने तमाम इख़्तिलाफ़ात में आप का फ़ैसला न मान लें और जो फ़ैसला आप करें उससे किसी तरह की तंगी न मेहसूस करें। बल्कि उसको ब रज़ा व रग़बत तस्लीम कर लें।" **(निसा–आयत–65)**

मालूम हुआ कि तमाम इख़्तेलाफ़ात में रसूल सल्ल0 आख़िरी सनद हैं। अब जो लोग अपने मामलात में किसी ग़ैर नबी यानि उम्मती को सनद मानते हैं, उसके क़ौल व फ़ैअल को आखं बन्द करके बग़ैर दलील के तस्लीम करते हैं, कुबूल करते हैं, वो जाने–अनजाने में उस शख़्स को नबी का दर्जा दे देते हैं। इस आयत की रोशनी में ऐसे लोग मोमिन नहीं हो सकते।

इताअते रसूल मुहब्बते इलाही का ज़रिया

रसूल सल्ल0 ही वह हस्ती है जिसकी पैरवी करने से अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल होती है। जैसा कि इर्शादे बारी है "(ऐ रसूल सल्ल0) कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। (तुम्हारे ऐसा करने से) अल्लाह तुम से मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है।" **(आले इमरान–31)**

इताअते रसूल हिदायत का ज़रिया है।

वह इकलौती हस्ती जिसकी इताअत व पैरवी करने से हिदायत मिलती है, रसूल सल्ल0 है। इसलिए कि फ़रमाने इलाही है "अगर तुम रसूल की पैरवी

करोगे तो हिदायत पा जाओगें।'' **(नूर–आयत–54)** और ''रसूल की पैरवी करो ताकि तुम्हें हिदायत मिल जाए।'' **(आराफ़–आयत–158)**

ज़रा सोचिए। क्या अल्लाह तआला की तरफ़ से ऐसी सनदें रसूल सल्ल0 के अलावा किसी और के भी हक़ में बयान हुई हैं? अगर नहीं तो बे सनद शख़्स कैसे इमाम हो सकता है? किस तरह उसकी इताअत व पैरवी से हिदायत मिल सकती है?

रसूल शरीअते इलाही का शारेअ

रसूल ही वह हस्ती है जो अपने मनसब के लिहाज़ से इस बात की हक़दार है कि वह अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल शरीअत व अहकाम की तशरीह व तौज़ीअ कर सके। किसी दूसरे को यह हक़ हासिल नहीं कि वह शरीअत की तशरीह व तौज़ीअ करे। इसलिए कि फ़रमाने इलाही है।

''(ऐ रसूल सल्ल0) हम ने यह शरीअत आप पर (इसलिए) नाज़िल की है ताकि आप लोगों के लिए नाज़िल की गई बातों की तशरीह कर दें और लोग (अपनी निजात के बारे में) सोच सकें।'' **(नहल–आयत–44)**

रसूल के क़ौल व फ़ैअल की मुख़ालेफ़त फ़ित्ना है–

रसूल सल्ल0 ही वह हस्ती है जिसके कहे या किये की मुख़ालिफ़त करना दर्दनाक अज़ाब को दावत देना है। इसलिए कि ''उन लोगों को जो रसूल (सल्ल0) के क़ौल व फ़ैअल के ख़िलाफ चलते हैं डरते रहना चाहिये। कहीं ऐसा न हो कि वो किसी फ़ित्ने में पड़ जाएं या उन पर कोई दर्दनाक अज़ाब नाज़िल हों।''**(नूर–आयत–63)**

रसूल की ज़िन्दगी नमूना (आइडियल) है–

रसूल ही वह हस्ती है जिसका तरीक़ा तमाम मुसलमानों के लिए ज़ाब्ता ए हयात है। रसूल ही वह नमूना है जिसके मुताबिक़ ढ़ल कर लोग अल्लाह से कोई उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए कि इर्शादे बारी तआला है ''बेशक। तुम्हारे लिए रसूल (सल्ल0 की ज़िन्दगी) में बेहतरीन नमूना है उस शख़्स के लिए जो अल्लाह (से मिलने) और क़यामत की उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करता हो।'' **(अहज़ाब–आयत–21)**

यह नमूना अल्लाह तआला ने भेजा। अल्लाह के नमूने के अलावा दूसरे को नमूना बनाना ख़ुद को अल्लाह के मनसब पर फ़ाइज़ करना है और यह शिर्क है। रसूल सल्ल0 की हर बात वहये इलाही है। इसलिए कि ''रसूल अपनी ख़्वाहिश से कुछ नहीं कहता वह जो कुछ कहता है (अल्लाह की) वहय होती है।'' **(नज़्म–3–4)** क्या यह सनद किसी और को हासिल है? अगर नहीं तो फिर किसी और की बात कैसे सनद हो सकती है? आप सल्ल0 ही की हर बात हक़ है जो मासूम है। जिससे दीनी मामलात में गलती का इमकान नहीं। इर्शादे बारी है ''(ऐ रसूल सल्ल0) बेशक। आप खुले हक़ पर क़ायम हैं।'' **(नम्ल–आयत–79)** क्या अल्लाह तआला की तरफ़ से यह सनद किसी और को मिली है? अगर नहीं तो फिर वह इमाम कैसे हो सकता है। इमाम तो वही हो सकता है न जिसकी हर बात हक़ हो।

आप सल्ल0 ही वह सिराजे मुनीर और रोशन चिराग़ हैं जिसकी रोशनी में अल्लाह की नाज़िल की गई शरीअत को समझा जा सकता है। अगर यह रोशन चिराग़ न हो तो फिर अन्धेरे में न शरीअते इलाही का मुतालेआ किया जा सकता है और न सिराते मुसतक़ीम (सीधी राह) मिल सकती है। इन्सानों में रसूल सल्ल0 ही वह हस्ती है जिसका फ़ैसला मिल जाने के बाद किसी मोमिन को इख़्तियार बाक़ी नहीं रहता कि वह उस मामले में ख़ुद कोई राय दे या किसी दूसरे की राय ले।

मोमिन को आप सल्ल0 के फ़ैसले ही पर अमल करना होगा। इसलिए कि अल्लाह तआला का फ़रमान है। ''किसी मोमिन मर्द व औरत के लिए यह जाइज़ नहीं कि जब अल्लाह और रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दें तो फिर भी उन्हें इस मामले में कोई इख़्तियार बाक़ी रहे (कि इस फ़ैसले के मुताबिक़ करें या न करें) और जो शख़्स भी अल्लाह की और उसके रसूल की नाफ़रमानी करेगा, वोह गुमराही में पड़ जाएगा।'' **(अहज़ाब–आयात–36)**

क्या यह हक़ अल्लाह की तरफ़ से किसी उम्मती को भी दिया गया है? अगर नहीं दिया गया तो फिर वह इमाम कैसे हो सकता है? कैसे वह वाजिबुल इत्तेबाअ हो सकता है? किसी मोमिन को यह हक़ हासिल नहीं कि रसूल सल्ल0 का फ़ैसला सुनने के बाद कोई और बात कहे सिवाए इसके कि मैंने सुना और इताअत करूंगा। इसलिए कि ''जब ईमान वालों को अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल0) की तरफ़ बुलाया आए ताकि अल्लाह और उसका रसूल उनके बीच फैसला करें तो उनकी ज़ुबान से इसके सिवा कुछ नहीं निकलना चाहिये कि हमने सुन लिया और हमने इताअत की। ऐसे ही लोग कामयाबी पाने वाले हैं।'' **(नूर–आयत–51)**

क्या यह मनसब भी आप सल्ल0 के सिवाए किसी और को मिला है? यक़ीनन नहीं तो फिर किसी दूसरे की पैरवी कैसे वाजिब हो सकती है? वह इमाम कैसे हो सकता है?

रसूल ही मनबअ ए हिदायत

रसूल सल्ल0 ही के बारे में अल्लाह की गवाही है कि ''वह सीधे रास्ते पर हैं'', **(ज़ुख़रूफ़–43)** ''सीधे रास्ते की तरफ़ बुलाते हैं।'' **(मोमिनून–73)** और जो उस की पैरवी करे उसे सीधा रास्ता मिलता है।'' **(ज़ुख़रूफ़–आयत–61)**

ये आयते इस बात की खुली सनद हैं कि रसूल सल्ल0 सीधे रास्ते पर हैं, सीधे रास्ते की तरफ़ दावत देते हैं और उन्हीं की पैरवी सीधी राह है। बताइये। ये सनदें और ज़मानतें क्या किसी और के पास हैं? अगर नहीं तो उनकी बात आख़िरी सनद कैसे हो सकती है? उनके फ़तवे और राय किस तरह दीन में शामिल हो सकते हैं?

रसूल की नाफ़रमानी हसरत व नदामत का ज़रिया–

''क़यामत के दिन गुनाहगार अपने हाथ काट–काट खाएगा और कहेगा। ऐ काश। मैंने रसूल सल्ल0 की पैरवी की होती।'' **(फ़ुरक़ान–आयत–27)**

इत्तेबाअ ए रसूल बाइसे रहमत

रसूल (सल्ल0) की पैरवी करने वाले पर अल्लाह रहम करता है–''मेरी

रहमत हर चीज़ को शामिल है। यह रहमत मैं उन लोगों के लिए लिख दूंगा। जो तक़्वा इख़्तेयार करते हैं, ज़कात देते हैं और हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। यानि वो लोग जो रसूल की पैरवी करते हैं।'' **(आराफ़–156–157)**

रसूल सिर्फ़ अल्लाह से डरता है–

रसूल (सल्ल0) ही वह हस्ती है जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, जो कुछ छिपाता नहीं बल्कि बेख़ौफ़ हो कर बयान करता है। ''जो लोग अल्लाह की रिसालत को पहचानते हैं और अल्लाह ही से डरते हैं और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरतें। (वही आपके लिए नमूना हैं)'' **(अहज़ाब–आयत–39)**

भला जो लोग ग़ैरूल्लाह से डरते हों, तक़या करते हों और ऐसा करके हक़ को छुपाते हों, वो कैसे मासूम हो सकते हैं? उनकी हर बात कैसे हक़ हो सकती हैं? वो कैसे उम्मत के इमाम हो सकते हैं? इमाम तो दर हक़ीक़त वही हो सकता है जो बे ख़ौफ़ व ख़तर अल्लाह के अहकाम की तब्लीग़ करे और किसी मलामत करने वाले या ताना देने वाले की परवाह न करे बल्कि अपने मुख़ालिफ़ीन को चैलेन्ज दे कि ''तुम सब मिल कर जो कुछ मेरे ख़िलाफ़ करना चाहते हो, कर गुज़रो और मुझे ज़रा सी भी मोहलत न दो।'' **(युनुस–आयत–71)** और आप सल्ल0 ने ऐसा ही किया।

रसूल तक़या नहीं करते–

जिन उलेमा को लोगों ने खुद इमाम बना लिया है और उनकी इताअत को वाजिब क़रार दे लिया है। उनके बारे में कौन कह सकता है कि वो तक़या नहीं करेंगें? ख़ौफ़ व मसलेहत की ख़ातिर हक़ को नहीं छुपाएंगे? न हमारे पास उनके बारे में वहय इलाही की ऐसी कोई सनद है और न खुद उन इमामों के पास वहय इलाही की कोई सनद है। न उनके पास वहय आई कि उनको ग़लती से बचाती। तो फिर सोचिए कि ऐसी सूरत में वो इमाम कैसे हो सकते हैं?

अल्लाह तआला तो फ़रमाता है ''ऐ ईमान वालों। अल्लाह की इताअत करो और रसूल (सल्ल0) की इताअत करो और अपने आमाल ज़ाया मत करो।'' **(मुहम्मद–33)**

मालूम हुआ कि आमाल की कुबूलियत का दारोमदार आप सल्ल0 की इताअत पर है। जो आमाल आपके फ़रमान के मुताबिक़ न किये जाएं बातिल हैं, बेकार हैं। क्या यह हैसियत भी किसी और को हासिल है? अल्लाह तआला तो फ़रमाता है। ''यक़ीनन अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनको अल्लाह की आयते पढ़–पढ़ कर सुनाता है, उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिक्मत की तालीम देता है।'' **(आले इमरान–164)**

क्या ऐसी सनद अल्लाह की तरफ़ से किसी और को भी हासिल है? क्या किसी दूसरे की पैरवी करने से नफ़्स का पाक होना यक़ीनी है? क्या किसी और के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने किताब व हिक्मत का जो मआनी बतलाया है, वह यक़ीनन सही है? अगर नहीं तो फिर वह इमाम कैसे हो सकता है?

अल्लाह तआला का फ़रमान है ''अगर तुम्हारा किसी मामले में इख़्तेलाफ़

हो जाए तो उस मामले को अल्लाह के और उसके रसूल (सल्ल0) की तरफ़ लौटा दो।'' **(निसा–59)** और यह कि ''(ऐ रसूल सल्ल0) हमने आप की तरफ़ हक़ के साथ किताब नाज़िल की है ताकि आप लोगों के बीच (उस तरह) फ़ैसला करें, जिस तरह अल्लाह आप को बताए।'' **(निसा–105)**

सोचिए ज़रा। कि क्या आपसी इख़्तेलाफ़ात में अल्लाह की तरफ़ से रसूल (सल्ल0) के अलावा किसी दूसरे को भी यह आखिरी सनद दी गई है? और क्या किसी और के फ़ैसले भी अल्लाह की रहनुमाई में सादर होते हैं? अगर नहीं तो फिर उनकी बात कैसे सनद हो सकती है? पस। साबित हुआ कि सिर्फ़ एक ही हस्ती ऐसी है जिसकी पैरवी अल्लाह की इताअत है और जिसकी नाफ़रमानी अल्लाह की नाफ़रमानी है। जिसकी हर (दीनी) बात वहय इलाही है। जो ख़ुद हिदायत पर है और हिदायत की तरफ़ बुलाता है। जिसकी इताअत करने से हिदायत मिलती है और पैरवी करने से विलायत मिलती है जिसके पास इन सब बातों के लिए वहय इलाही की सनद है और वह हस्ती सिर्फ़ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह सल्ललाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तो फिर बताइये कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 के अलावा किसी और की इताअत से किसी और को आख़िरी सनद या इमाम बनाने से सिवाए नुक़्सान के और क्या मिल सकता है? यह नुक़्सान भी दो क़िस्म का होगा। एक शिर्क फ़िल हकम का और दूसरा फ़िर्क़ा बन्दी का। शिर्क किसी तरह का भी हो बिना सच्ची तौबा के माफ़ नहीं होता। इसलिए इससे बचना ज़रूरी है वरना निजात ना मुमकिन है। रही फ़िर्क़ाबन्दी तो यह अल्लाह का अज़ाब है और इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीक़ा है कि सिर्फ़ एक मुत्तफ़िक़ अलैअ इमाम को इमाम माना जाए और ऐसा इमाम सिवाए रसूल सल्ल0 के कौन हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए कि कोई फ़िर्क़ा ऐसा नहीं जो आप सल्ल0 को वाजिबुल इत्तेबाअ न मानता हो। आप सल्ल0 की पैरवी को निजात का ज़रिया न समझता हो।

यक़ीन कीजिए। (A)अल्लाह ने न 4 इमामों की पैरवी करने का हुक्म दिया है और न ही 12 इमामों की। अगर कहा है तो यहकि ''अल्लाह की बात मानों और उसके रसूल (सल्ल0) की पैरवी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए।'' **(आले इमरान–132)** हमारा इमाम तो सिर्फ़ एक है और वह वही है जिसे अल्लाह ने हमारा इमाम बनाया है।

इताअत व इत्तेबाए रसूल सल्ल0 मक़सद है। उलैमा और फ़ुक़्हा ज़रिया तो हो सकते हैं लेकिन मक़सद नहीं बन सकते। उलैमा और फ़ुक़्हा इमामे कायनात रसूल सल्ल0 की बातें हम तक पहुंचाने वाले हैं, ख़ुद इमाम नहीं हैं।

आइये। हम और आप सिर्फ़ अल्लाह के बनाए हुए इमाम को इमाम मानें। फ़िर्क़ाबन्दी ख़त्म करें। सब एक मर्कज़ पर जमा हो जाएं और एक हो जाएं।

अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हमारे लिए अपने दीन की सीधी राह पर चलना आसान बनाए। आमीन।

माख़ूज़

तलाशे हक़

अज़– इरशादुल्लाह मान

आपका दीनी भाई।

मुहम्मद सईद।

092148366390 / 9887239649